

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-0135-2767611

संख्या:-

1010

/FP/UK/ROAD/31090/2017 देहरादून: दिनांक

15 अक्टूबर, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषय:-जनपद-चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर-पिथौरागढ़ एन0एच0 125 (नया 09) चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 है0 वन भूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 18.06.2020।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 18.06.2020 के अनुपालन में सूचना प्रस्तावक विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत के द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 1152/12-1(2) दिनांक 13.10.2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। उक्त के क्रम में अवगत कराया गया है कि अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट द्वारा दिनांक 15.03.2018 को प्रस्तावपोर्टल पर Upload कर दिया गया था, जो Regional Officer Ministry of Environment, Forest & Climate Change के पत्रांक8B/UCP/06/112/2018/FC/356 दिनांक 18.06.2020 के द्वारा HPC के टिप्पणी "Yet to be started" के आधार पर Consider नहीं किया गया था।

वर्तमान में उक्त कार्य को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार HPC के स्थान पर Oversight Committee के द्वारा देखा जा रहा है। Oversight Committee की 10वीं बैठक दिनांक 15.08.2022 को हुई, जिसमें निर्देश दिये गये कि चम्पावत Bypass हेतु Forest Proposal की स्वीकृति पर State Forest department द्वारा अतिशीघ्र (in any case within one month from the receipt of the present communication if the request in this behalf has already been made or within one month from making the fresh request) (Decision) निर्णय लिया जाए।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी अनुरोध के दृष्टिगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या

/FP/UK/ROAD/31090/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 1152/12-1(2) दिनांक 13.10.2022 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
3. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट।

(एस0एस0 रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।